न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष– सरिता देवी पति स्व0 गंदुर महतो सा0 कुरकुरा बगैरह...।

वाद सं0 42/2021

बनाम

द्वितीय पक्ष– ललिता देवी पति शंकर महतो सा0 तेतर टोली बगैरह ....।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 23/7/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कुरकुरा के अप्राथमिकी सं0 02/2021 दिनांक 20/06/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) सरिता देवी पति स्व0 गंदुर महतो (2) गंदुर महतो उम्र 30 वर्ष पिता दोनो सा0 तेतर टोली कुरकुरा थाना कुरकुरा **बनाम** द्वितीय पक्ष (1) ललिता देवी पति शंकर महतो (2) रोहित कुमार उम्र 21 वर्ष पिता शंकर महतो (3) सचिन महतो उम्र 22 वर्ष पिता शंकर महतो ग्राम तेतर टोली थाना कुरकुरा जिला गुमला के बीच पटरा तोड़ने एवं आपसी पुरानी रंजीस को लेकर आपसी तनाव एवं विवाद संबंधी वाद को लेकर उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कुरकुरा या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उभय पक्ष न्यायालय के बाहर अपसी समझौता कर अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उक्त वाद को सुलहनामा कर वाद की कार्रवाई को समाप्त करने हेतु सुलहनाम दाखिल किया गया। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई सुलहनामा के आधार पर वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) [मुहर] अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2024.09.05 14:39:48 +05:30 Location: 192.168.1.2	